फाइल नं0-71-3002(002)/7/2023-03

47/2023/1/294034/2023

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 27 मार्च, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में विद्युत संयोजन खाता संख्या-9999924/1858 का वर्तमान स्वीकृत विद्युत भार 706 के0बी0ए0 से 1000 के0बी0ए0 किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/827, दिनॉक 06.03.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें1

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में हृदय रोग संस्थान, कानपुर में विद्युत संयोजन खाता संख्या- 9999924/1858 का वर्तमान स्वीकृत विद्युत भार 706 के0बी0ए0 से 1000 के0बी0ए0 किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या- 31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-105-44-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज , कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इन्स्टीट्यूट हेतु मानक मद- 24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 644.25 लाख में से जमानत धनराशि के रूप में रू0 44,63,000.00 (रू0 चौवालिस लाख तिरसठ हजार मात्र) का भुगतान किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07-06-2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत नियमों के अधीन किया जाएगा।
3. धनराशि का आहरण वास्तविक आवयकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक / पोस्ट आफिस में नहीं रखा जाएगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 44,63,000 (रूपये चौवालिस लाख तिरसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031054400 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज , कानपुर में स्थापित कार्डियोलॉजी इन्स्टीट्यूट मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-621-दस/2022-23, दिनांक 26 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

संख्याः-उपरोक्त तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर।
6. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. कोषधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।